

सामूहिक कन्या विवाह योजना एक कारगर सामाजिक पहल - डोंगरगांव के विशेष संदर्भ में

शोध निर्देशक

ज्योति धारकर

सहा. प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शास.वि.या.ता.स्नातकोत्तर स्वा. महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

शोधार्थी

समीक्षा जैन

इतिहास विभाग, शास.वि.या.ता. स्नातकोत्तर स्वा. महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

सारांश (Abstract)

भारतीय समाज में विवाह केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संरचना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है। विशेषतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कन्या विवाह अत्यधिक व्यय, ऋणग्रस्तता, सामाजिक प्रतिस्पर्धा तथा दहेज जैसी समस्याओं का कारण बनता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सामूहिक कन्या विवाह योजनाएँ प्रारंभ की गईं, जिनका उद्देश्य निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह को सम्मानजनक, सरल, विधिसम्मत एवं व्यय-नियंत्रित बनाना है।

प्रस्तुत शोधपत्र में छत्तीसगढ़ शासन की "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना" का डोंगरगांव (जिला राजनांदगांव) के विशेष संदर्भ में ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन 2023-2025 के दौरान 120 लाभार्थी परिवारों से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों, क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा विभागीय अभिलेखों पर आधारित है। शोध में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि योजना ने विवाह व्यय में औसतन 80-85 प्रतिशत तक कमी की है। दहेज मांग में 72 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई तथा ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई। योजना ने सामाजिक समरसता, विधिक विवाह आयु के पालन तथा निर्धन परिवारों के सम्मानजनक सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहित किया है।

यद्यपि योजना के क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी, प्रशासनिक विलंब तथा अनुवर्ती मूल्यांकन जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तथापि यह योजना सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी हस्तक्षेप सिद्ध हुई है।

मुख्य शब्द: सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, डोंगरगांव, सामाजिक न्याय, दहेज उन्मूलन, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय संस्कृति में विवाह को सोलह संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। यह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं, बल्कि दो परिवारों और सामाजिक संरचनाओं का भी मिलन है। पारंपरिक भारतीय समाज में कन्या विवाह को माता-पिता का धार्मिक एवं नैतिक दायित्व माना जाता रहा है। किंतु समय के साथ विवाह में बढ़ते आडंबर, दहेज प्रथा, सामाजिक प्रतिस्पर्धा और अनावश्यक व्यय ने इसे आर्थिक रूप से अत्यंत बोझिल बना दिया है।

विशेष रूप से ग्रामीण एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए कन्या विवाह ऋणग्रस्तता और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनता है। कई परिवार विवाह के लिए कर्ज लेने को विवश हो जाते हैं, जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती है। इसी संदर्भ में राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यावहारिक रूप प्रदान करती हैं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक समानता एवं राज्य की उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए वंचित वर्गों के उत्थान हेतु योजनाबद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता बताई थी। इसी विचारधारा के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना" प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह को सरल, सम्मानजनक और विधिसम्मत बनाना है।

प्रस्तुत अध्ययन डोंगरगांव क्षेत्र के विशेष संदर्भ में इस योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्रियान्वयन, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक उपयोगिता तथा चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. सामूहिक कन्या विवाह योजना की ऐतिहासिक एवं नीतिगत पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. डोंगरगांव क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का विश्लेषण करना।
3. योजना के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
4. लाभार्थी परिवारों की स्थिति एवं अनुभवों का अध्ययन करना।
5. योजना की सीमाओं एवं सुधार की संभावनाओं को रेखांकित करना।

3. शोध पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन ऐतिहासिक एवं क्षेत्राधारित (Field-based) शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में गुणात्मक (Qualitative) एवं मात्रात्मक (Quantitative) दोनों पद्धतियों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

अध्ययन अवधि

जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 तक

नमूना आकार

120 लाभार्थी परिवार

डेटा स्रोत

(क) प्राथमिक स्रोत

- लाभार्थी परिवारों से संरचित साक्षात्कार
- प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण
- ग्राम पंचायत अभिलेख
- ICDS कार्यालय, डोंगरगांव से प्राप्त आंकड़े
- स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं CDPO से संवाद

(ख) द्वितीयक स्रोत

- महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचनाएँ
- योजना मार्गदर्शिकाएँ
- जनगणना रिपोर्ट
- समाजशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक शोध ग्रंथ
- सरकारी वार्षिक प्रतिवेदन

अध्ययन में प्रतिशत, तुलनात्मक विश्लेषण, वृद्धि दर तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया गया है।

4. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

भारतीय समाज में सामूहिक विवाह की अवधारणा पूर्णतः नई नहीं है। मध्यकालीन एवं आधुनिक काल में कई समाज सुधार आंदोलनों ने विवाह को सरल और व्यय-नियंत्रित बनाने का प्रयास किया।

19वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अन्य समाज सुधारकों ने बाल विवाह, दहेज और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाए। इन प्रयासों का उद्देश्य विवाह संस्था को सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा के अनुरूप बनाना था।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 एवं 46 के अंतर्गत राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का दायित्व प्रदान किया गया।[1] इसी संवैधानिक आधार पर विवाह सहायता योजनाओं का विकास हुआ।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2005 में "छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना नियम, 2005" अधिसूचित किया गया। समय के साथ योजना का स्वरूप और वित्तीय सहायता दोनों विस्तारित होते गए।

5. योजना का विकास एवं वित्तीय प्रावधान

योजना के स्वरूप में समय-समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिससे यह अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बन सकी।

सारणी 1 : योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता का तुलनात्मक विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	कुल राशि (प्रति कन्या)	वधू को भुगतान (चेकसे)	उपहार सामग्री	आयोजन व्यय
1	2005-06	₹10,000	₹1,000	₹4,000	₹5,000
2	2013-14	₹15,000	₹1,000	₹11,500	₹2,500
3	2019-20	₹25,000	₹1,000	₹19,000	₹5,000
4	2023-24	₹50,000	₹21,000	₹21,000	₹8,000
5	2024 (संशोधित)	₹50,000	₹35,000	₹7,000	₹8,000

स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि शासन ने समय के साथ बढ़ती महंगाई और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि में निरंतर वृद्धि की है।

6. डोंगरगांव का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य

डोंगरगांव, राजनांदगांव जिले का एक महत्वपूर्ण अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि, श्रम एवं असंगठित व्यवसायों पर निर्भर है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों की उल्लेखनीय उपस्थिति इस क्षेत्र की सामाजिक संरचना को विशिष्ट बनाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विवाह जैसे सामाजिक आयोजन अक्सर ऋण और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनते हैं। ऐसे में सामूहिक कन्या विवाह योजना ने एक व्यवहारिक एवं सम्मानजनक विकल्प प्रस्तुत किया है।

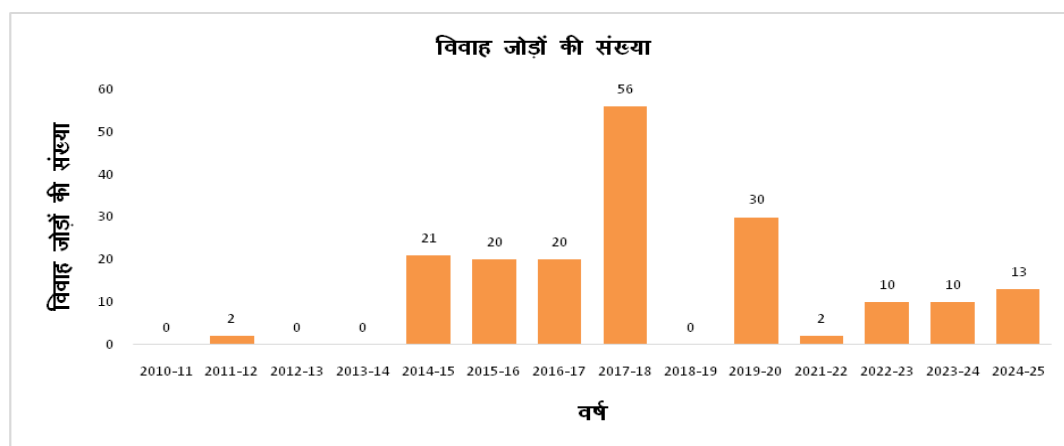
7. डोंगरगांव क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन

क्षेत्रीय अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि डोंगरगांव में योजना के प्रति जागरूकता एवं सामाजिक स्वीकृति दोनों में वृद्धि हुई है।

सारणी 2 : डोंगरगांव क्षेत्र में संपन्न विवाहों का वर्षवार विवरण

क्र.	वर्ष	विवाह जोड़ों की संख्या
1	2010-11	0
2	2011-12	2
3	2012-13	0
4	2013-14	0
5	2014-15	21
6	2015-16	20
7	2016-17	20
8	2017-18	56
9	2018-19	30
10	2019-20	0 (COVID)
11	2021-22	2
12	2022-23	10
13	2023-24	10
14	2024-25	13

स्रोत: ICDS कार्यालय, डोंगरगांव एवं शोधार्थी द्वारा संकलित आंकड़े।



चित्र-डोंगरगांव क्षेत्र में संपन्न विवाहों का वर्षवार विवरण

विश्लेषण

2014-15 के बाद लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक 56 जोड़ों ने सामूहिक विवाह में भाग लिया, जो योजना की बढ़ती सामाजिक स्वीकृति को दर्शाता है। कोविड-19 अवधि में संख्या में गिरावट आई, किंतु बाद के वर्षों में पुनः वृद्धि दर्ज की गई।

8. सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

8.1 विवाह व्यय में कमी

अध्ययन में पाया गया कि निजी विवाह की तुलना में सामूहिक विवाह में औसतन 80-85 प्रतिशत तक कम व्यय हुआ।

सारणी 3 : विवाह व्यय तुलना

प्रकार	औसत व्यय
निजी विवाह	₹2,10,000
सामूहिक विवाह	₹50,000

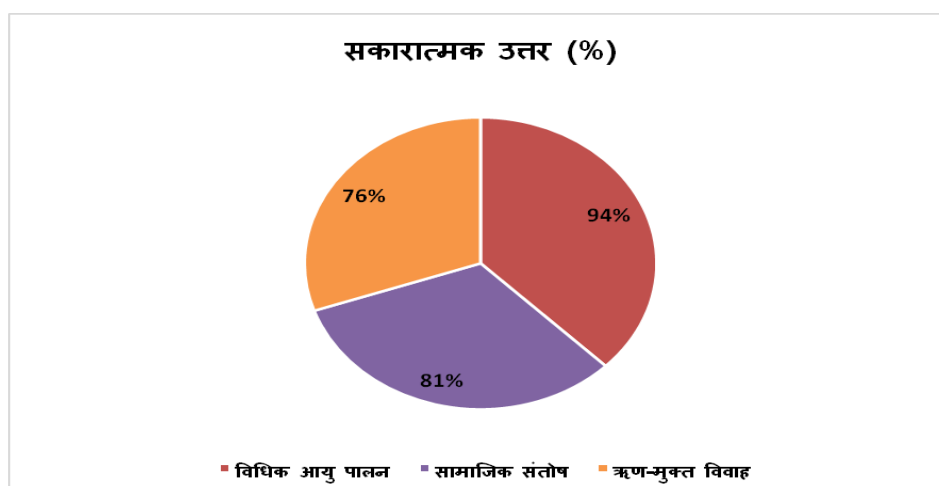
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना ने निर्धन परिवारों को ऋणग्रस्तता से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

8.2 सामाजिक प्रभाव संकेतक

सारणी 4 : सामाजिक प्रभाव

संकेतक	सकारात्मक उत्तर (%)
विधिक आयु पालन	94%
सामाजिक संतोष	81%
ऋण-मुक्त विवाह	76%

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में भी प्रभावी सिद्ध हुई है।



चित्र-सामाजिक प्रभाव

8.3 दहेज प्रथा में कमी

सामूहिक आयोजन के कारण सामाजिक प्रतिस्पर्धा एवं दिखावे की प्रवृत्ति में कमी आई। लाभार्थियों ने बताया कि सामूहिक विवाह में दहेज की सामाजिक अपेक्षाएँ अपेक्षाकृत कम होती हैं।

8.4 बाल विवाह पर नियंत्रण

योजना के अंतर्गत आयु सत्यापन एवं विधिक पंजीकरण अनिवार्य होने से बाल विवाह की संभावनाओं में कमी आई। अध्ययन में 94 प्रतिशत मामलों में विधिक विवाह आयु का पालन पाया गया।

8.5 सामाजिक समरसता

सामूहिक विवाह समारोहों में विभिन्न जातियों एवं समुदायों की सहभागिता से सामाजिक समरसता और सामूहिकता की भावना को बल मिला।

9. चुनौतियाँ एवं सीमाएँ (Challenges and Limitations)

योजना के सकारात्मक प्रभावों के बावजूद कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी
2. आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया में प्रशासनिक विलंब
3. अनुवर्ती मूल्यांकन की अपर्याप्त व्यवस्था
4. कुछ परिवारों में सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी मानसिकता
5. दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना का सीमित प्रसार

इन चुनौतियों के समाधान हेतु प्रभावी जनजागरूकता अभियान एवं पारदर्शी मॉनिटरिंग प्रणाली आवश्यक है।

10. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में भी कन्या विवाह सहायता योजनाएँ संचालित हैं। तुलनात्मक रूप से छत्तीसगढ़ की योजना अधिक संगठित एवं सामूहिक स्वरूप में संचालित होती दिखाई देती है।

विशेष रूप से सामूहिक आयोजन, विधिक पंजीकरण और प्रशासनिक सहभागिता इसे अन्य योजनाओं से अलग पहचान प्रदान करते हैं।

11. निष्कर्ष (Conclusion)

डोंगरगांव के विशेष संदर्भ में "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना" एक प्रभावी सामाजिक एवं आर्थिक हस्तक्षेप सिद्ध हुई है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस योजना ने विवाह संबंधी आर्थिक बोझ को कम किया, ऋणग्रस्तता को घटाया तथा दहेज एवं सामाजिक आडंबर जैसी प्रवृत्तियों पर आंशिक नियंत्रण स्थापित किया।

योजना ने निर्धन परिवारों को सम्मानजनक सामाजिक सहभागिता का अवसर प्रदान किया है। साथ ही, विधिक विवाह आयु के पालन और सामाजिक समरसता को भी प्रोत्साहित किया है।

यद्यपि योजना के समक्ष जागरूकता, पारदर्शिता और अनुवर्ती मूल्यांकन जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, तथापि उचित सुधार और जनसहभागिता के माध्यम से यह योजना सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दीर्घकालिक परिवर्तनकारी पहल सिद्ध हो सकती है।

12. सुझाव (Suggestions)

1. ग्राम स्तर पर निरंतर जागरूकता अभियान संचालित किए जाएँ।
2. ऑनलाइन आवेदन एवं ट्रेकिंग प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाए।
3. विवाहोपरांत लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अनुवर्ती अध्ययन किया जाए।
4. महिला स्व-सहायता समूहों एवं पंचायतों के साथ समन्वय बढ़ाया जाए।
5. योजना के प्रचार हेतु स्थानीय मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

13. फुटनोट (Footnotes)

1. Government of India, The Constitution of India (New Delhi: Government of India Press).
2. Government of Chhattisgarh, Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Guidelines (Raipur: Department of Women and Child Development, 2022).
3. Census of India, Primary Census Abstract: Chhattisgarh (New Delhi: Office of the Registrar General, 2011).
4. Field Survey conducted by the Researcher, Dongargaon, 2023–2025.

14. संदर्भ सूची (References)

1. Desai, A.R. Social Background of Indian Nationalism. Mumbai: Popular Prakashan, 1994.
2. Government of Chhattisgarh. Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Guidelines. Raipur: Department of Women and Child Development, 2022.
3. Census of India. Primary Census Abstract: Chhattisgarh. New Delhi: Office of the Registrar General, 2011.
4. Sharma, K.L. Indian Social Structure and Change. Jaipur: Rawat Publications, 2012.
5. Singh, Yogendra. Modernization of Indian Tradition. Jaipur: Rawat Publications, 2000.
6. छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग। छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना नियम, 2005। रायपुर।
7. ICDS कार्यालय, डोंगरगांव। विभागीय प्रतिवेदन एवं सांख्यिकीय अभिलेख (2010–2025)
8. शोधार्थी द्वारा संकलित क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार, डोंगरगांव (2023–2025)।

15. चित्र सूची (List of Figures)

चित्र 1: परियोजना अधिकारी डोंगरगांव के साथ शोधार्थी का साक्षात्कार एवं योजना संबंधी चर्चा।

चित्र 2: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत लाभार्थी विवाह जोड़ों का समूह चित्र।

चित्र 3: डोंगरगांव क्षेत्र में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह का दृश्य।

चित्र 4: लाभार्थी परिवारों से क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं संवाद प्रक्रिया।

चित्र 1: परियोजना अधिकारी डोंगरगांव के साथ शोधार्थी का साक्षात्कार एवं योजना संबंधी चर्चा।



चित्र 2: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत लाभार्थी विवाह जोड़ों का समूह चित्र।



चित्र 3: डोंगरगांव क्षेत्र में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह का दृश्य।



चित्र 4: लाभार्थी परिवारों से क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं संवाद प्रक्रिया।

